

I/761706/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

Email: cex15rti-ker@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

सी.सं.सी. No. IV/16/05/2015-RTI

दिनांक/Dated: .09.2022

व्यापार सूचना/TRADE NOTICE NO: 04/2022

विषय :सूचना अधिकार अधिनियम, 2005- केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति-
संबन्धित।

Sub: **Right to Information Act, 2005-Appointment of CPIO - Reg.**

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता को इसके साथ सूचित किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना / दस्तावेजों की प्रकटीकरण के लिए, आवेदनों / अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु, दिनांक 21.06.2017 की व्यापार सूचना सं. 02/2017 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की तालिका के अनुबंध- II (1) में एवं व्यापार सूचना सं. 03/2017 - केन्द्रीय कर की तालिका के अनुबंध-II में सूचित अनुसार निम्नलिखित सहायक आयुक्त को कोच्चि आयुक्तालय के कार्यालय में केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के रूप में पदांकित किया गया है। उक्त के ब्यौरे निम्नलिखित हैं ।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that, the following Officer is designated as Central Public Information Officer (CPIO) of the O/O The Commissioner, Central Tax & Central Excise Kochi Commissionerate for the

I/761706/2022

purpose of receiving applications/requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005 as shown at Annexure-II of Trade Notice No.02/2017-Central Excise and 03/2017-Central Tax both dated 21.06.2017. The details are as follows

क्र.सं ./ Sl.No	नाम व पदनाम/ Name & Designation	क्षेत्राधिकार/Jurisdiction		सी.पी.आई.ओ. का पता एवं दूरभाष सं./Address and Telephone No. of the CPIO
	S/Smt./Shri.		क्षेत्र/Area	
1	माया चन्द्रन, सहायक आयुक्त एवं सी.पी.आई.ओ Maya Chandran, Assistant Commissioner & CPIO	कोच्चि केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय मुख्यालय Kochi Central Tax & Central Excise Commissio nerate Headquart ers	व्यापार सूचना सं. 2/2017,अनुबंध II (2) व 3/2017 - के.उ.शु. दोनों दिनांक 21/06/2017 में सूचित अनुसार As mentioned in Annexure II (2) of Trade Notice Nos.02/2017- Central Excise & 03/2017-Central Tax both dated 21/06/2017	केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस.रोड: कोच्चि-682018 Central Tax & Central Excise, Hqrs Office, Central Revenue Building, I.S.Press Road, Kochi - 682018. Phone:0484- 2390404. Fax:0484-2390608. Email: cexcochi@.nic.in

Signed by Maneesh Kumar

Date: 16-09-2022 18:26:59

मनीष कुमार /Maneesh Kumar

आयुक्त/ Commissioner

प्रति/Copy to:

संबन्धित अधिकारी/The concerned officers

I/761706/2022

सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है /Copy for information submitted to :

1. सदस्य,केन्द्रीयअप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली
The Member, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi.
2. निरीक्षण महानिदेशक,निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, डी -ब्लॉक,आई पी एसटेट,नई दिल्ली
The Director General of Performance Management, D-Block, I.P.Estate, New Delhi.
3. सिस्टेमस महानिदेशक,सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,होटेल सम्राट,नई दिल्ली
The Director General of Systems, CBIC, Hotel Samrat, New Delhi.
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क ,थिरुवनंथपुरम क्षेत्र/
The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,केलिकट एवं त्रिवेनड्रम-इस अनुरोध के साथ कि वह इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें और विभिन्न व्यापार संघों और आर.ए.सी. आदि के सदस्यों को भेजें
The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wide publicity to this trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC etc. also
6. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन.
The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.
7. आयुक्त (अपील),कोचिन
The Commissioner (Appeals), Cochin.
8. सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त
All Director General/Chief Commissioners /Commissioners of Directorates
9. संयुक्त आयुक्त एवं प्रथम अपील अधिकारी(जन सूचना),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोचिन/The Joint Commissioner and 1st Appellate Authority (RTI), Central Tax & Central Excise Hqrs., Cochin.
10. सूचना पट्ट/Notice Board.